राजकीय महाविद्यालय, बाली

जिला–पाली (राजस्थान) 306701

विवरणिका

2021–22

Govt. College, Bali

Website: hte.rajasthan.gov.in/college/gcbali
Phone No. 02938-222002
E-Mail : govtcollegebali@gmail.com

श्रेष्ठता की ओर निरन्तर अग्रसर

राजकीय महाविद्यालय, बाली

जिला–पाली (राज.)

विवरणिका

PROSPECTUS

2021-22

श्री आईदान सिंह
प्राचार्य (कार्यवाहक)

डॉ. उम्मेद कुमार चौधरी
संपादक

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बाली द्वारा प्रकाशित

दूरभाष नं. 02938–222002

Website: hte.rajasthan.gov.in/college/gcbali

E-Mail : govtcollegebali@gmail.com

महाविद्यालय परिचय

अरावली पर्वतमाला की तलहटी में आबाद गोडवाड़ का बाली हमेशा प्राकृतिक दृष्टि से सरसब्ज रहा हैं वहीं ऐतिहासिक दृष्टि से भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । राजस्थान के इतिहास में बलवीर ने पन्नाधाय को उदयसिह सुपुर्दगी के लिए 'बाली' देने की पेशकश की थी । उस समय बाली प्राकृतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि न केवल मेवाड़ व मारवाड़ का संधिस्थल था, अपितु हरियाली व ऊपजाउपन के कारण मनमोहक व धनधान्य से परिपूर्ण सबका मुख्य आकर्षण था । महाराणा कुम्भा का बनाया हुआ बाली का किला अपनी कहानी खुद बयां करता हैं । इसके एकदम करीब सत्र 2013–2014 राज्य सरकार के आदेश के तहत् राजकीय महाविद्यालय, बाली संचालित हो रहा था ।

वर्तमान में महाविद्यालय अपने नवीन भवन में फेब इण्डिया स्कूल रोड पर संचालित है। जिसका लोकापर्ण माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के कर कमलों द्वारा दिनांक 23.04.2018 को सम्पन हुआ। शिक्षण सत्र 2021–22 में कला संकाय के तीनों पार्ट की कक्षाएँ ऑनलाईन (राज्य सरकार की कोविड–19 गाईडलाईन के अनुसार) व ऑफलाईन संचालित रहेगी । वर्तमान में महाविद्यालय में कुल 495 छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत हैं ।

नये महाविद्यालय की सम्बद्वता जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से हैं।

'होनहार बिरवान के होत चिकनेपात' की तर्ज पर यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की राह पर निरन्तर अग्रसर होता रहेगा ।

राजकीय महाविद्यालय, बाली : दृष्टिनिक्षेप

1. यह महाविद्यालय फेब इण्डिया स्कूल रोड़ पर संचालित है।
2. गत सत्र में 495 छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत ।
3. सुयोग्य संकाय सदस्यों द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्ता प्रधान शिक्षा प्रदान करने के लिए सतत् प्रयासशील ।
4. रैगिंग/उत्पीडन जैसी गतिविधियों से दूर सह–शिक्षा का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए पूर्ण अनुशासनात्मक महाविद्यालय ।
5. छात्र–छात्राओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय की सुव्यवस्था उपलब्ध ।
6. शुद्व पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था ।
7. महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बैठक व्यवस्था ।
8. महाविद्यालय भवन पूर्ण रूप से CCTV Camera से लेस (सुरक्षित)है।
9. ''प्रत्योगिता दक्षता'' के नाम से फी कोचिंग क्लासेज संचालित है। (IAS,RAS,TEACHERS AND ALL COMPITATIVE EXAM ETC.)

महाविद्यालय परिवार

संकाय सदस्यगण

प्राचार्य

रिक्त

कला संकाय

इतिहास
श्री आईदान सिंह

राजनीति विज्ञान
श्री अशोक सेठ

भूगोल
डॉ. उम्मेद कुमार चौधरी

हिन्दी साहित्य
रिक्त

अंग्रेजी
सुश्री रजनी

संस्कृत
श्री रामचन्द्र

समाजशास्त्र
रिक्त

पुस्तकालय अध्यक्ष
रिक्त

शारिरीक शिक्षा अनुदेशक
रिक्त

अधीनस्थ सेवा मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी

कार्यालय अधीक्षक
रिक्त

सहायक लेखा. अधिकारी
रिक्त

वरिष्ठ लिपिक
रिक्त

कनिष्ठ लिपिक
रिक्त

प्रयोगशाला सहायक
रिक्त

प्रयोगशाला वाहक
रिक्त

बुक लिफ्टर
श्री भूराराम

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
रिक्त

विशिष्ट सूचनाएँ एवं निर्देश

1. महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर ऑनलाईन प्रवेश होंगे।
2. प्रवेश हेतु आवेदन करने से पूर्व विवरणिका का अध्ययन अवश्य करें।
3. प्रवेशार्थी, सूचना पट्ट आवश्यक रूप से देखते रहें। सूचना पट्ट पर नाम आने के बाद अपने सभी शुल्क महाविद्यालय कार्यालय में ऑनलाईन व ऑफलाईन (नियमानुसार) निर्धारित तिथि तक जमा करा दें अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः रद्द हो जायेगा।
4. वर्ष पर्यन्त छात्र को सभी सूचनाएं पट्ट के माध्यम से दी जायेगी।
5. शुल्क जमा की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।
6. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संबंधित प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
7. प्रवेश नीति के अनुसार आरक्षण, रियायतें तथा शुल्क लाभ चाहने वाले प्रवेशार्थी तत्संबंधी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें।
8. छात्र अपने डाक के पते में परिवर्तन होने पर नये पते की सूचना अपने अभिभावक के माध्यम से महाविद्यालय को अवश्य देवें।
9. अध्ययन काल में यदि आप कोई नौकरी या व्यवसाय करने लगें तो उसकी पूरी जानकारी महाविद्यालय को देवें।
10. त्रुटिवंश प्रवेश अनियमानुसार हो जाने पर उसे निरस्त कर दिया जायेगा।
11. सभी विवादों में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
12. अपने वाहन निर्धारित स्थान पर रखें।
13. प्रवेश एवं परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के लिए विद्यार्थी महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होवें।
14. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग राजस्थान सर्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत भी दण्डनीय है। इस अधिनियम के तहत तीन वर्ष का कारावास या दो हजार रूपये अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते है।

नोटः विद्यार्थी आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र जमा करवाने से पूर्व उनकी पर्याप्त सत्यापित प्रतियां अपने पास रखें ताकि अन्य आवेदन पत्र भरते समय होने वाली असुविधा से बच सकें।

(यद्यपि इस विवरणिका में सभी सरकारी आदेशों/सूचनाओं/नियमों को प्रकाशित करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी विसंगति होने पर मूल आदेशों/नियमों/सूचनाओं को ही अधिकृत माना जाये।)

पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध स्थान

महाविद्यालय में अकादमिक सत्र 2021–22 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के पाठ्यक्रमानुसार त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम–कला संकाय उपलब्ध हैं :

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता का विवरण निम्नानुसार रहेगा :

क्र.स.	कक्षा	कुल उपलब्ध स्थान
1.	बी.ए. पार्ट प्रथम	200
2.	बी.ए. पार्ट द्वितीय	200
3.	बी.ए. पार्ट तृतीय	200

नोटः आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा ।

त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (कला संकाय)

(क) पार्ट प्रथम कला संकाय
अनिवार्य विषय

1 .सामान्य हिन्दी / सामान्य अग्रेजी (कोई एक विषय) 2 पर्यावरण अध्ययन (ENVIRONMENTAL STUDIES) 3. आनन्दम

वैकल्पिक विषय/

1.हिन्दी साहित्य 2. अंग्रजी साहित्य 3. संस्कृत
4. इतिहास 5. भूगोल 6. राजनीति विज्ञान 7. समाज शास्त्र

(ख) पार्ट द्वितीय वर्ष कला संकाय
अनिवार्य विषय

1. सामान्य कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Elementary Computer Application) – उपलब्ध नही हैं ।

वैकल्पिक विषय

द्वितीय वर्ष कला के प्रवेशार्थियों को वे ही वैकल्पिक विषय लेने होंगे , जिन विषयों के साथ वे प्रथम वर्ष कला में उत्तीर्ण हुए हैं ।

(ख) पार्ट तृतीय वर्ष कला संकाय

वैकल्पिक विषय

तृतीय वर्ष कला के प्रवेशार्थियों को वे ही वैकल्पिक विषय लेने होंगे , जिन विषयों के साथ वे द्वितीय वर्ष कला में उत्तीर्ण हुए हैं ।

Subject Comlination

वैकल्पिक विषय समूह संयोजन

B.A. Part Ist : Group par Optional subject ; subject which can be taken as optional together should be included in a same Group

Group A	Group B	Group C
History	Political Science	Hindi Literature
Sociology	English	Geography
	Sanskrit	

B.A. Part Ist : Optional subject – All applicable/reuning Comlination in college as course wise

I	II	III
History	Political Science	Hindi Literature
History	Political Science	Geography
History	English Literature	Hindi Literature
History	English Literature	Geography
History	Sanskrit Literature	Hindi Literature
History	Sanskrit Literature	Geography
Sociology	Political Science	Hindi Literature
Sociology	Political Science	Geography
Sociology	Sanskrit Literature	Hindi Literature
Sociology	Sanskrit Literature	Geography
Sociology	English Literature	Hindi Literature
Sociology	English Literature	Geography

(नोटः–प्रवेशार्थी उपर्युक्त विषय समूह संयोजन को ऐच्छिक वरियता अनुसार अंकन करें । जो भी समूह संयोजन मैरिट के आधार पर आपको आवंटित किया जायेगा प्रवेशार्थी को मानना होगा ।)

उपरोक्त विषय प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय वरियता के अनुसार महाविद्यालय में संचालित ग्रुप विषय समूह संयोजन के अनुसार आवंटित किये जायेगें। एक बार आवंटन के बाद किसी प्रकार से विषय समूह में परिवर्तन नही किया जायेगा (नियमानुसार)

अतः विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऑन लाईन आवेदन करते समय महाविद्यालय में संचालित न्यूनतम पांच विषय समूह संयोजन आवेदन पत्र में प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से भरे ताकि उन्हें वरियता एवं उनकी प्राथमिकता के आधार पर विषय समूह आवंटित किया जा सकें।

नोटः– द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष में किसी भी प्रकार से विषय में परिवर्तन नही किया जायेगा।

संसाधन एवं गतिविधियॉ

आनन्दम (नवीन अनिवार्य पाठ्यक्रम)

आनन्दम पूर्णतया छात्र वर्ग में सामाजिक सौहाद्रता, प्रसन्नता एवं सकारात्मकता के संस्कार को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास है। आनन्दम विषय को पाठ्यक्रम में इस उद्देश्य से शामिल किया गया ताकि विद्यार्थियों में नेतृत्वता के गुण विकसित किया जा सके जिससे अंततः एक स्वस्थ व प्रसन्न मानसिकता का समाज विकसित हो।

इसका उद्देश्य छात्रों को समाज से जुड़कर संवाद करने, समाज की समस्याओं को समझने एवं सुलझाने के लिए उत्साहित करना है तथा छात्रों को देने और साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनाना है जिसके प्रति वे असंवेदनशील हो गये है। इससे जुड़करछात्रों को अपनी रचनात्मकता एवं संवेदनशीलता प्रकट करने का सुअवसर मिलेगा।

यह विषय पूरी तरह से देने और साझा करने की खुशी पर आधारित है। यह न केवल छात्रों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सर्वागीण विकास के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा बल्कि उनके नेतृत्व गुण को निखारेगा जिससे उनकी कैरियर संभावनाएं और प्रबल होंगी।

प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए आनन्दम विषय के सम्बंध में सूचना एवं दिशा–निर्देश

प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस सत्र 2020–21 से प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों हेतु एक नया अनिवार्य विषय प्रारम्भ किया गया है , जिसका नाम ''आनन्दम'' है। इस विषय के संबंध में प्रमुख दिशा निर्देश निम्न है :–

1. प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए **आनन्दम विषय अनिवार्य है**। आनन्दम विषय में प्राप्त अंक **विद्यार्थियों के अंको की कुल प्रतिशत की गणना में जोड़े जाएंगे।**
2. आनन्दम विषय का सम्पूर्ण सिलेब्स, छात्र द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर किये गये अच्छे कार्य है।
3. **इस विषय के अधिकतम अंक 100 है।** कुल मुल्यांकन व्यक्तिगत गतिविधियों और समूह परियोजना पर आधारित होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को दो प्रकार की गतिविधिया करनी होगी।
   I. व्यक्तिगत गतिविधियां :– इसका अभिप्राय विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन किसी समाज हित में – जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना। जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पास रखी गयी दैनिक डायरी में रिकार्ड या दर्ज करना होगा। तथा समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इसे मेंटर के पास जमा कराना होगा।
   II. समूह गतिविधियां :– समूह गतिविधि का मतलब 8 से 10 विद्यार्थियों के समूह द्वारा समाज विशेषरूप से जरूरत मत लोगो को लाभ पहुचाना होगा। एक ही विषय पर अलग अलग लोगो पर कई समूह कार्य कर सकते है। समूह गतिविधियों से संबंधित विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट सत्र के अंत में मेंटर के पास जमा करवाना होगा
4. विद्यार्थियों के ग्रुप (समूह) बनेंगे जो मेंटर के मार्गदर्शन में किसी भी क्षेत्र या कॉलोनी साक्षरता, स्वास्थय, वृक्षारोपण जैसे मुदों पर काम करेंगे।
5. छात्र समूह किसी एक विषय पर भी काम कर सकते है।
6. प्रत्येक विद्यार्थी एक डायरी बनाऐगा, जिसमें प्रतिदिन किए गए अच्छे कार्यो को लिखेगा।

7. हर महिने के अंतिम सप्ताह में आनन्दम मनाया जाएगा। इस दिन सभी छात्र समूह अपने प्रोजेक्ट की प्रगति प्रोस्टर आदि के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे और किये गये अच्छे कार्य के अनुभव साझा करेगे। आनन्दम दिवस पर उपस्थिति एवं भागीदारी के 20 अंक निर्धारित किये गये है।
8. आनन्दम के तहत् संचालित व्यक्तिगत एवं समूह गतिविधियों के मूल्यांकन का मापदड निम्न प्रकार रहेगा।

वार्षिक परियोजना **100 अंक**

क्र.स.	**मापदंड**	**अंक**
1	मेंटर को प्रस्तुत दैनिक डायरी	10
2	परियोजना की रूपरेखा	20
3	आनन्दम दिवस पर उपस्थिति व भागीदारी	20
4	परियोजना एवं उसकी रिपोर्ट	50
	कुल अंक	100

प्रोजेक्ट (परियोजना) रिपोर्ट के मुल्यांकन का आधार

क्र.स.	मापदंड	अंक
1	छात्र समूह द्वारा अपनाये गये प्रोजेक्ट गतिविधियों की विडीयों	10
2	समाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान एवं सहभागिता	10
3	समस्याओं का निस्तारण चुनौतीपूर्ण मसलो पर कार्य एवं रचनात्मकता	30
	कुल अंक	50

9. आनन्दम विषय के सह संचालन एवं प्रबंधन हेतु महाविद्यालय में एक समिति कार्य करेगी, जिसका मनोनयन प्राचार्य द्वारा किया जायगा :–

आनन्दम से संबंधित सूचनाएं आपको समय –समय पर सूचना पट्ट पर प्रदान की जाएगी। अत विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी की वह सूचना पट्ट से जानकारी प्राप्त कर अपना कार्य पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपने आनन्दम प्रभारी से संर्पक कर अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

व्यक्तिगत एवं समूह गतिविधियां निम्न प्रकार से हो सकती है :–

व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए सुझाव :

1. स्कूल/कॉलेज /सार्वजनिक स्थान/कार्यालयों में बिजली/पंखे/इलैक्ट्रोनिक उपकरण जो उपयोग में न हों उन्हे बंद करना।
2. स्कुल/कॉलेज/सार्वजनिक स्थान/कार्यालयों में व्यर्थ बहने वाले नल जो उपयोग में न हों, को बंद करना।
3. रिहायशी और सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरे/टायरों आदि को जलाने को हतोत्साहित करें।
4. वृद्धजनों की मदद/कमजोर/महिला/वृद्धजनों को बैठने की जगह घर/बस तथा सार्वजनिक स्थानोंपर।
5. किसी को जनवरों से क्रूरता करने से रोकना।
6. सुनिश्चत करें कि कागज का दुरूपयोग रूके और कोरे कागज के दोनों तरफ से हो।
7. जरूरतमंद/बीमार/वृद्धजन/दोस्तों/रिश्तेदारों से मिलना अथवा फोन करना।
8. महिलाओं की छेडछाड़/उत्पीड़न को रोकना।
9. पौधे लगाना
10. पौधे सींचना
11. पड़ोसी दोस्त की मदद के लिए समय निकालना
12. किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ भोजन/पानी/दवा साझा करना
13. लोगों को सडकों पर कचरा फेंकने से रोकना
14. सभी से विशेष रूप से गरीबों से विनम्रता से बात करना
15. शब्द और संकेतो के माध्यम से महिलाओं/लड़कियों का सम्मान करना
16. बच्चों/महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग न करना।
17. किसी का खोया हुआ पर्स/वॉलेट/दस्तावेज लोटाना।
18. अपनी जगह अन्य को लिफ्ट/कतार में स्थान देना
19. तेज ध्वनी पर संगीत ना बजाकर छात्र वर्ग/वृद्धजन/पडोसियों के लिए शांति कायम रखना
20. किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार देना जिसे आप नापसंद करते हों
21. कम्प्यूटर संबंधित दैनिक समस्याएं जैसे :– ई–मेल भेजना/इंटरनेट देखना/प्रिंट आउट निकालना आदि में किसी की मदद करना।

समूह गतिविधियों के लिए सुझाव :

1. बिजली एवं पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र/कॉलोनी/ऑफिस में नारे/पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढाने वाले कार्यक्रम एवं अभियान।
2. कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित ने के लिए एक क्षेत्र/कॉलोनी/कार्यालय को अपनाना।
3. घायल और बीमार गायों/जानवरों की देखभाल हेतु योजना
4. पानी/बिजली/कचरा निस्तारण/सड़कों/प्रदूषण के मुद्दों को सुधारने के लिए एक क्षेत्र/कॉलोनी को अपनाना।
5. प्रस्तक/भोजन/कपडे/मोबाइल/उपकरण इत्यादि का बैंक बनाकर संकलिक सामग्री को जरूरतमंदों को वितरित करना।
6. पेड़ों की अनाधिकृत कटाई की निगरानी से संबंधित योजना के साथ कार्य
7. वृक्षारोपण और वनीकरण कार्यक्रमों से जुड़ना
8. स्थानीय विरासत स्थलों एवं पर्यटक स्थलों के जीर्णोद्वार एवं पर्यटन मानचित्रों पर उनका प्रचार–प्रसार।
9. अस्पतालों के साथ समन्वय कर गरीब इलाकों के बच्चों/महिलाओं की चिकित्सा जाँच शिविरों का आयोजन।
10. ड्रग/एल्कोहल नशामुक्ति सहायता समूह बनाकर लोगों को प्रेरित करना।
11. किशोर जेलों और नारी शालाओं में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
12. श्रमिकों/घर की कामवाली की सहायता के लिए छोटे पैमाने के ऋणों के लिए सहकारी समितियों का गठन।
13. महिलाओं/बच्चों/वृद्धों के उत्पीड़न की निगरानी और समाधान
14. बुनाई/रंगाई/मांडना/लोक गीत/पांडुलिपियों जैसे स्थानीय कला रूपों को पुनस्थापित करने और प्रचार–प्रसार करने के लिए समूह का गठन।
15. सामूहिक योग/ध्यान के लिए विशिष्ट समूह जैसे आयु/लिंग आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन
16. बावड़यों/कुओं एवं अन्य जल स्त्रोतो के जीर्णोद्वारा के लिए समूह का गठन
17. वर्षा जल/सौर ऊर्जा संचयन के लिए लोगों को प्रेरित कर तकनीकी जानकारी देना।

18. स्थानीय लोंगो के लिए सार्वजनिक उद्यान/पार्क आदि के रख–रखाव के लिए कार्य
19. कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग और एप्स के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित करना
20. अपने इलाके में बालिकाओं के सर्वागीण विकास और सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं एवं अन्य सरकारी योजनाओं में भागीदारी
21. स्थानीय संसाधनों से सरल व नई तकनीक विकसित करना, जिससे गरीब श्रमिक वर्ग तथा किसानों के समय/श्रम की बचत के साथ उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।

युवा विकास केन्द्र (Youth Development Center)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा जयपुर से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर यह केन्द्र संचालित किया जा रहा है। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को रोजगार–व्यवसाय से संबंधित विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करवाना, भाषिक, बौद्धिक उन्नयन और कौशल विकसित करने हेतु 2009 में इस केन्द्र की स्थापना हुई।

इसके द्वारा विद्यार्थियों को आत्मप्रबंध के विभिन्न आयामों की विस्तृत जानकारी विषय–विशेषज्ञ एवं विद्वान आमंत्रित व्याख्याताओं/व्यक्तियों द्वारा दी जाती है जिसमें प्रमुख है शारीरिक दक्षता (Physical Fitness), शोध प्रंबध (Anger management), समय प्रबंध (Time Management), प्रतिबल प्रबंध (Stress Management), आई.सी.टी. कौशल (ITC Skills), दूरभाष वार्ता (Telephone Calls), सामान्य वार्तालाप (General Conversation), उद्यमिता (Enterpreneurship) इत्यादि।

प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र के अनुरूप आयुक्तालय कॉलेज षिक्षा, जयपुर, ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को निःषुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाने के लिए स्वामी विवेकानंद जयन्ती के सुअवसर पर दिनांक 12 जनवरी 2019 को एक विषेष परियोजना ''**प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम**'' (फ्री कोचिंग क्लासेज) शुरू किया गया। इसके अन्तर्गत महाविद्यालय में विद्यार्थियों को IAS,RAS,SSC,BANK,REET, (I & II GARDE) POLICE (CONSTABLE/ SI) आदि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु महाविद्यालय प्रकोष्ठ की स्थापना की गई।

कला संकाय परिषद

महाविद्यालय में कला–संकाय परिषद् विद्यार्थियों के उथान एंव जाग्रति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये गठन किया गया। यह परिषद संयोजक–प्राध्यापक के मार्गदर्शक में विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करती है। यह परिषद प्रयासरत हैं कि विद्यार्थी सह–शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिभागी बनकर श्रेष्ठता अर्जित करें। इसमें युवा पीढ़ी के सर्वागिण विकास हेतु, जीवन के कॅरियर निर्माण के लिए विविध/विशेषज्ञों द्वारा समय–समय प्रेरित व्याख्यानों का आयोजन किया जाता रहा हैं। कला परिषद में पदाधिकारीयों का मनोनयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। जिसमें द्वितीय वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले को **अध्यक्ष**, प्रथम वर्ष सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले को **सचिव** तथा प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वालों में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को **सहसचित** पद पर नियुक्त किया जाता है।

नोटः कला परिषद के छात्र प्रदाधिकारीयों से अपेक्षा हैं कि वें परिषद के सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगें अन्यथा उनके स्थान पर सर्वोच्च अंक प्राप्त की सूची के अनुसार अगले छात्र का मनोनयन कर दिया जायेगा।

साहित्यिक एंव सांस्कृतिक समिति

समाज के हित की भावना आत्मसात् कर चलने वाली ये समितियां निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की बौधिक चहुॅमुखी प्रतिभा को प्रकट का पूर्ण अवसर मिलता है। महाविद्यालय स्थापना वर्ष से ही विभिन्न साहित्यिक–सांस्कृतिक गतिविधियों में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है।

महाविद्यालय प्रकाशन

महाविद्यालय इस सत्र के अन्त में अपनी वार्षिक पत्रिका संभावित नाम "गोडवाड–दर्पण" प्रकाशित करेगा । महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी इसमें अपनी मौलिक कविता, आलेख, व समाजोपयेागी रचनाएॅ देकर बौद्विक विकास के नये आयाम स्थापित करेंगे ।

पुस्तकालय

महाविद्यालय में स्थापित पुस्तकालय संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टियों से अपने विकास की ओर अग्रसर है। विभिन्न विषयों, संदर्भ ग्रंथों, विश्वकोषों सहित अनेक पुस्तकें ज्ञानार्जन हेतु उपलब्ध है। लगभग 4220 पुस्तकों के साथ ही 10–12 सामाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल्स इत्यादि पाठकों हेतु उपलब्ध है। विद्यार्थी रिक्त कालांश में यहां आकर बौद्धिक संवर्धन कर सकते हैं।

पुस्तकालय प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक खुला रहता है।

पुस्तकालय प्रवेश नियम :

1. पुस्तकालय प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर में छात्र एवं छात्राओं को अपना नाम तथा कक्षा लिखना आवश्यक है।
2. पुस्तकालय भवन में प्रवेश के लिए अपना परिचय–पत्र साथ लाना आवश्यक है। बिना परिचय पत्र के प्रवेश वर्जित होगा।
3. पुस्तकालय में पूर्ण शांति अपेक्षित है।
4. पुस्तकालय में थूकना, धूम्रपान या बातचीत करना वर्जित है।
5. किसी बाह्य व्यक्ति के पुस्तकालय भवन में प्रवेश हेतु प्राचार्य/पुस्कालय प्रभारी की अनुमति लेनी आवश्यक है।
6. पुस्तकालय में मोबाईल पूर्ण रूप से वर्जित है। मोबाईल मिलने पर जुर्माना/जब्त किया जा सकता है।

निर्गमन :

1. महाविद्यालय में प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को एक समय में अधिकतम 2 पुस्तके 15 दिवस हेतु निर्गमित की जा सकती हैं।
2. पुस्तकालय की पुस्तकें 15 दिन के लिए निर्गमित की जायेगी। यदि पुस्तक/पुस्तकें इस अवधि में वापस नहीं की जाती है तो प्रतिदिन के विलम्ब का अर्थदण्ड 1.00 रूपये प्रति पुस्तक की दर से वसूल किया जा सकता है।
3. जिस दिन कोई पुस्तक जमा की जायेगी उस दिन पुनः निर्गमित नहीं की जायेगी। यदि उस पुस्तक की अन्य किसी छात्र को आवश्यकता है तो वह पुनः निर्गमित नहीं की जायेगी। एक पुस्तक केवल तीन बार निर्गमित की जा सकेगी, उसके पश्चात् नहीं।

4. पुस्तकें निर्गमित करते समय छात्र पुस्तक की पूर्ण जांच कर लें अन्यथा पन्नों के फटे होने, गायब होने तथा अवॉछनीय लेखन के संबंध में उसका सम्पूर्ण दायित्व होगा एवं उसे एक अपराध मानते हुए उस पुस्तक के मूल्य की दुगुनी राशि तथा अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
5. काई भी पुस्तक एंव पत्रिका, पुस्तकालय अभिलेख में प्रविष्टि के बिना पुस्तकालय भवन से बाहर नहीं जायेगी।
6. पुस्तकालय भवन से पुस्तकें ले जाने से पूर्व प्रवेश द्वारा पर बैठे कर्मचारी को सन्देह होता है तो उस छात्र की तलाशी ली जा सकती है।
7. यदि कोई छात्र पुस्तकालय से अनुचित रूप से पुस्तकें ले जाते अथवा उसे क्षतिग्रस्त करते पकड़ा गया तो पुस्तक के मूल्य का दुगुना अर्थदण्ड देना होगा। उसे पुस्तकालय की सभी सुविधाओं से निष्कासित भी किया जा सकता है।
8. प्राचार्य या पुस्तकालय प्रभारी चाहें तो किसी भी पुस्तक को निर्धारित समय से पहले मंगवा सकते है। पुस्तकालय अधिकारी की सूचना पाकर भी पुस्तक नहीं लौटाने पर छात्र को प्रतिदिन 1:00 रूपये के हिसाब से अर्थदण्ड देना होगा।
9. सन्दर्भ पुस्तके, विश्व कोष, पत्र–पत्रिकाएं, परीक्षा–प्रश्न पत्र, विश्वविद्यालय प्रोस्पेक्टस तथा अत्यधिक मूल्य की पुस्तकें छात्रों को निर्गमित नहीं की जायेगी।
10. छात्रों को परीक्षा से पूर्व पुस्तकालय की पुस्तकें लौटानी होगी और पुस्तकालय से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में छात्र को परीक्षा अनुमति पत्र नहीं मिल सकेगा।
11. छात्र से पुस्तक खो जाने पर पुस्तकों के मूल्य का दो गुना तक तथा डाक खर्च लिया जायेगा, दुर्लभ पुस्तकें खो देने पर छात्र से पांच गुना राशि वसूल करने का प्राचार्य को अधिकार होगा।
12. महाविद्यालय पुस्तकालय की पुस्तक पर कोई भी विद्यार्थी अपना नाम, कक्षा अथवा अभद्र शब्द नहीं लिखेगा, यदि ऐसा पाया गया तो पुस्तक की दुगुनी राशि तथा अर्थ दण्ड वसूल किया जायेगा।

बुक बैंक की पुस्तकें निर्गमित करने के संबंध में

1. जो छात्र बुक बैंक से पुस्तकें पूरे सत्र के लिये लेना चाहता है उनको इस संबंध में सूचना निकलने पर प्रार्थना पत्र भरकर प्रभारी को देना होगा।
2. छात्रों को केवल वे ही पुस्तकें दी जायेगी जो बुक बैंक में उपलब्ध है।
3. उपर्युक्त कोष से पुस्तकें देने के लिए समिति का निर्णय अन्तिम होगा। साधारणतया उन्हीं छात्रों को पुस्तके दी जायेगी जो निर्धन है, जिनके पिता व माता की आय कर योग्य नहीं है, जिन्होंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किये हों तथा जिनके दूसरे भाई–बहिन महाविद्यालय में अध्ययनरत हो।
4. पुस्तकालय तथा बुक–बैंक की सभी पुस्तकें छात्रों को परीक्षा के पूर्व जमा करानी होगी। यदि किसी विशेष कारण से पुस्तकें रखना चाहते है तो पुस्तकों के दुगुने मूल्य के बराबर राशि कार्यालय में जमा कराके पुस्तकें परीक्षा तक रख सकते हैं। पुस्तकें जमा कराने के पश्चात् जमा राशि वापस कर दी जायेगी।
5. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को वर्ष भर के लिए पुस्तकें मुफ्त दी जाती है। जिन्हें सत्रांत पर लौटाना आवश्यक है।

कम्यूनिटी बुक बैंक

राजकीय महाविद्यालय, बाली में कम्यूनिटी बुक बैंक की स्थापना 16 सितम्बर, 2019 में हुई। वर्तमान में 15 पुस्तकें बुक बैंक में प्राप्त हुई। इस योजना में बाली के भामाशाहों/समाजसेवी एवं पूर्व छात्रों से अधिक से अधिक पुस्तकें एकत्रित करने का लक्ष्य रख गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना NSS

राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्त्व विकास हेतु भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक केन्द्रीय योजना है जिसे महाविद्यालय शिक्षा में 1969–70 में लागु किया गया। इसका प्रतीक/चिन्ह कोणार्क सूर्य मन्दिर के रथ चक्र पर आधारित है। NSS का ध्येय वाक्य **"मुझको नही तुमको"** । राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य सभी युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना है। इसकी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी, समाज के लोगो के साथ मिलकर समाज के हित में कार्य करते है। जैसे साक्षरता संबंधी पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता, आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगो की सहायता आदि। छात्र विद्यार्थी जीवन से ही समाज उपयोगी कार्य में कार्यरत रहने से उसमें समाज सेवा या राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास होता है। **NSS** स्वयं सेवक को दो साल की अवधि में कुल 240 घंटे सामाजिक सेवा में समर्पित करना आवश्यक है। स्वयं सेवक को प्रतिवर्ष 20 घंटे उन्मुखीकरण और 100 घंटे सामुदायिक सेवा में देना होगा। स्थानीय महाविद्यालय में NSS की एक इकाई सत्र 2018–19 से संचालित है। NSS स्वयं सेवक के रूप में नामांकन करने के लिए विद्यार्थीं कॉलेज के NSS के कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करे । राष्ट्र सेवा योजना में रजिस्टेशन फ्री है। तथा फॉर्म किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय चेतना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां आती हैः–

1. महाविद्यालय प्रांगण का सौन्दर्यीकरण
2. अभिनव एंव प्रशिक्षण
3. कौमी–एकता एवं युवा सप्ताह कार्यक्रम
4. ग्राम–विकास कार्यक्रम
5. प्रौढ़–साक्षरता, परिवार कल्याण कार्यक्रम
6. एक दिवसीय शिविर (तीन)
7. पर्यावरण सुधार कार्यक्रम
8. सात दिवसीय विशिष्ट शिविर
9. एड्स संबंधी विभिन्न जानकारी एवं चेतना कार्यक्रम आदि।

रोवर दल/रेंजर दल (Rover Scouts/Ranger)

महाविद्यालय में यह परिषद महाविद्यालय स्थापना वर्ष से ही कार्यरत है।

रोविरिंग वास्तव में उन्मुक्त भ्रातृत्व है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वावलम्बन, अनुशासन तथा जनसेवा की भावना को जागृत करना है। **'जनहितार्थ एक शुभ कार्य प्रतिदिन'** इसका मुख्य उद्देश्य है। अन्य गतिविधियों की भांति यहा भी एक ऐच्छिक गतिविधि है। रोवर दल राजस्थान स्टेट भारत स्काउट्स व गाइड्स से संबंद्ध है।

विशेष :– विद्यार्थी के लिए NSS रोवर/रेंजर युवा विकास केन्द्र व छात्रा परिषद् में से किसी एक में भाग लेना आवश्यक है।

छात्र संघ

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष में छात्रसंघ का गठन किया जाता है। छात्रसंघ के अध्यक्ष का चुनाव महाविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश ले चुके सभी विद्यार्थी अपने मतदान द्वारा कर सकते हैं। अध्यक्ष कार्य–कारिणी का मनोनयन निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों में से करता है। राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर इस महाविद्यालय में भी उन्हीं निर्देशो के तहत छात्रसंघ चुनाव कराया जायेगा।

कोविड–19 की माहमारी के कारण सत्र 2020–21 में छात्रसंघ चुनाव राज्य सरकार के आदेशानुसार सम्पन्न नही करवाये गये।

खेल –कूद

इस समिति के माध्यम से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर महाविद्यालय की गरिमा बढाने का सुअवसर मिलता है।

इसमें लिए ज्ञातव्य बिन्दु इस प्रकार हैः–

1. प्राचार्य द्वारा गठित एक खेलकूद समिति द्वारा महाविद्यालय में खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन किया जाता है।

2. खेल का सामान खेल प्रभारी द्वारा कप्तान तथा उसकी अनुपस्थिति में अन्य खिलाड़ियों को दिया जायेगा। कप्तान का दायित्व होगा कि वह खेल का सामान पुनः सुरक्षित खेल प्रभारी को सौप देंवे।

3. महाविद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं के समय प्राचार्य द्वारा खेलकूद समिति मनोनीत की आयेगी। जो संबंधित टीम का चयन करेंगें यदि किसी छात्र ने समिति सदस्यों के साथ अभ्रद व्यवहार किया तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

दैनिक भत्ता, अल्पाहार एवं वेशभूषा के निय (महाविद्यालय की ओर से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिये)

1. रेलवे का द्वितीय श्रेणी या बस का किराया रियायती दर पर दिया जायेगा। यदि रेलवे तथा बस द्वारा रियायती दर पर टिकट उपलब्ध न हो सका तो पूरा किराया देय होगा।
2. दैनिक भत्ता 125–/रूपये प्रतिदिन देय होगा व 20/– रूपये मात्र का अल्पाहार विद्यार्थी को प्रति मैच पर देय होगा। दैनिक भत्ता देने में यात्राकाल भी सम्मिलित है।
3. निम्न परिस्थितियों में दैनिक भत्ता आधा देय होगा।
   - ण यदि टीम बाली से मध्याह्न 12.00 के बाद रवाना होती है।
   - इण यदि बाली में प्रातः 9.00 बजे पश्चात परन्तु दोपहर 1.00 बजे से पहले पहुंचती है।
4. ऑटो किराया दोनों रफ प्रति खिलाडी पर निम्न होगा।
   - ण बाली में 20.00 रूपये
   - इण अन्य स्थानों के लिए 30.00 रूपये – कुल 50.00 रूपये मात्र

5. बाली में महाविद्यालय प्रतियोगिता आयोजित होने पर मैच खेलने वाले दिन महाविद्यालय टीम के सदस्य को दैनिक भत्ते के रूप में 50.00 रूपये दिये जायेंगें।
6. यदि कोई विद्यार्थी प्रतियोगिता स्थल पर ही बीमार पड़ जाता है तो उसे उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों के बिल का भुगतान किया जायेगा। यदि कोई गंभीर चोट पहुंचती है तो बाली पहुचने के पश्चात ही प्राचार्य महोदय की स्वीकृति द्वारा बिलों का भुगतान किया जा सकता है।
7. अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडियों को महाविद्यालय द्वारा दी जाने वाली किट की राशि–400/– रूपये होगी। अतिरिक्त राशि का भुगतान स्वयं खिलाड़ी वहन करेगा। किट खेलकूद प्रभारी द्वारा तय कलर का ही होगा।

महाविद्यालय विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना

1. महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये 1 वर्षीय दुर्घटना बीमा लागू है जिसके अन्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा होता है।

2. दुर्घटना का वार्षिक शुल्क रू. 100/– प्रवेश शुल्क के साथ ही लिया जाता है।

3. महाविद्यालय द्वारा ली गयी बीमा राशि समस्त विद्यार्थियों के प्रवेश पश्चात् सितम्बर माह तक सामूहिक रूप से भेजी जायेगी। तत्पश्चात प्रवेशित विद्यार्थियों से प्राप्त राशि सामूहिक रूप से माह जनवरी में भेजी जायेगी।

4. दुर्घटना बीमा राज्य बीमा विभाग द्वारा पॉलिसी जारी होने की तिथि से ही बीमा प्रभावी होगा।

5. महाविद्यालय द्वारा लिये गये शुल्क एंव बीमा पॉलिसी जारी होने के मध्य होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं इससे संबंधित किसी भी दावे के लिए महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

नोट : विद्यार्थी का सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का दावा प्रपत्र दस्तावेज दो माह के अंदर महाविद्यालय कार्यलय में प्रस्तुत करना होगा।

छात्रा–परिषद

हमारे समाज में विशेषतः राजस्थान में महिलाओं का उन्नयन अपेक्षानुसार नही हो रहा हैं । महिलाओं का भी पुरूषो के समान चहुॅमुखी विकास हो इसलिए महाविद्यालय में केवल छात्राओं की विशिष्ट परिषद की व्यवस्था की गई हैं । इसके पदाधिकारी तथा गतिविधियों की प्रतिभागी केवल छात्राऍ ही होती हैं । सत्र 2013–14 से ही महाविद्यालय में छात्रा–परिषद् का गठन किया गया । इस परिषद् द्वारा सत्रपर्यन्त नृत्य, गायन, रंगोली, एवं मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

रोजगारोंमुखी कौशल विकास केन्द्र

महाविद्यालय में **रोजगारोंमुखी कौशल विकास केन्द्र** का अध्ययन केन्द्र (STUDY CENTER) संचालित हैं । जो विद्यार्थी महाविद्यालय में नियमित अध्ययन करने के साथ–साथ जीविकोपार्जन से जुड़ा कोई डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, वे केन्द्र समन्वयक से सम्पर्क कर सकते हैं ।

रोजगार सम्पर्क प्रकोष्ठ

महाविद्यालय का यह प्रकोष्ठ कुछ वर्षो से कार्यरत है। इसका मुख्या कार्य विद्यार्थी तथा व्यावसायिक – औद्योगिक प्रतिष्ठानों का परस्पर सम्पर्क कराना है ताकि विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। यहा महाविद्यालय परिसर में ही छात्र/छात्राओं को साक्षात्कार, समूह चर्चा, परीक्षा आदि के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होता है।

रैगिंग : आपराधिक कृत्य

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार रैगिंग (उत्पीड़न) गम्भीर अपराध हैं । इस उत्पीड़न में संलिप्त होने वाले विद्यार्थियों के लिये सर्वोच्च न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)ने बहुत सख्त शैक्षणिक एव आर्थिक दण्डों की व्यवस्था की हैं। सम्बन्धित विद्यार्थी को महाविद्यालय से तुरन्त निष्कासित कर दिया जाएगा । रैगिंग (उत्पीड़न) सम्बन्धित षिकायत हेतु विद्यार्थियो को इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से प्राचार्य, उप–प्राचार्य, रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ के सदस्यों को देने की सलाह दी जाती

हैं । इसके अतिरिक्त रैगिंग से संबंधित शिकायत पुलिस या जिला प्रशासन को भी की जा सकती हैं । सभी सक्षम अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर महिला उत्पीडन सम्बन्धी विवरण के पश्चात् दिए जा रहे हैं ।

महाविद्यालय स्तर पर :(रैगिंग)

1. श्री अशोक सेठ	प्रकोष्ठ संयोजक	–	9462272239
2. डॉ. उम्मेद कुमार चौधरी	सदस्य	–	9784583901
3. श्री रामचन्द्र	सदस्य	–	9887901099
4. सुश्री रजनी	सदस्य	–	9549444416

महिला उत्पीड़न

महिला उत्पीड़न एक अभिशाप हैं । इससे न केवल महिलाओं को असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ता हैं, वरन् समूची मानवता शर्मिन्दगी महसूस करती हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार निम्न बातें महिला उत्पीड़न में सम्मिलित हैं–

1. महिला/युवती/बालिका को छूना या छूने की कोशिश करना, लगातार घूरना, पीछा करना ।
2. फूहड़ मजाक करना, बोलकर या बिना बोले भद्दे इशारे करना या अंग प्रदर्शन करना ।
3. मैज या दीवार पर अश्लील बातें लिखना ।
4. व्यक्तिगत जीवन के बारे में अफवाहें फैलाना ।
5. लालच या डर दिखाकर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना।
6. कार्य समय के बाद या अपने घर बुलाकर अभद्र व्यवहार, यौन सम्पर्क का दबाब या अनुरोध ।
7. फोन पर अश्लील बातें करना या एस.एम.एस./एम.एम.एस. करना ।
8. अश्लील चर्चा करना, कामुक (अष्लील चित्र),फोटो, पोस्टर दिखाना ।
9. शारीरिक सम्पर्क या उसकी कोशिश ।
10. ऐसा कोई भी अन्य अश्लील आचरण या अभद्र व्यवहार जिस पर महिलाओं को आपत्ति हो।

हमारा महाविद्यालय सभी विद्यार्थियों को समता का वातावरण प्रदान करता हैं । छात्रों के साथ–साथ छात्राओं को भी सभी क्षेत्रों में समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । तथापि उपर्युक्त में से किसी भी स्थिति का सामना करने पर छात्राओं को निर्देशित किया जाता हैं कि वे महिला उत्पीड़न रोकथाम के लिए महाविद्यालय में गठित समिति के समक्ष अपनी बात रखें । छात्राओं द्वारा की गई शिकायत पर गठित समिति द्वारा उचित निष्पादन के सभी संभव प्रयास किए जाऐंगे । समिति एवं महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्राओं को भयमुक्त गरिमामय वातावरण मिले व उन्हें किसी भी असामान्य/अषोभनीय स्थिति का सामना ही न करना पड़े । पीडित छात्रा की शिकायत पर स्थानीय समिति उत्पीड़न प्रकरण की निष्पक्ष जॉच कर अपनी जॉच रिपोर्ट अनुशंषा

सहित तीन दिवसों के भीतर प्राचार्य के सम्मुख प्रस्तुत करेगी । जॉच में दोषी पाए गए पक्षकारों का स्पष्टीकरण मॉगने के बाद उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करने का प्राचार्य को अधिकार होगा । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए या स्पष्टीकरण से संतुष्ट न होने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा प्रकरण निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किया जाएगा ।

रैगिंग एवं महिला उत्पीड़न रोकथाम के लिए महाविद्यालय के साथ–साथ अन्य स्तरों पर भी सुनवाई कक्ष गठित किए गए हैं , जिनकी जानकारी दूरभाष/मोबाइल नम्बर निम्न प्रकार हैं –

महाविद्यालय स्तर पर :(महिला उत्पीड़न)

1. सुश्री रजनी	प्रभारी	–	9549444416

पुलिस विभाग स्तर पर :

पुलिस अधीक्षक, पाली	–	02932–223838
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,बाली	–	02938–222501
उप अधीक्षक, पुलिस, बाली	–	02938–222822
पुलिस थाना, बाली	–	02938–222034

तहसील/उपखण्ड़ स्तर पर

उपखण्ड अधिकारी, बाली	–	02938–222072
तहसीलदार, बाली	–	9530316944, 02938–222071
विकास अधिकारी, बाली	–	

जिला स्तर पर :

जिला कलेक्टर , पाली	–	02932–222575

निदेषालय स्तर पर :

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर	–	0141–2705471

75% उपस्थिति अनिवार्यता नियम

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक विषय के सैद्वान्तिक एवं प्रायोगिक विषय में राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिषत उपस्थिति अनिवार्य हैं ।
2. वे छात्र, जिन्हें महाविद्यालय की ओर से एन.सी.सी., रोवर/रेंजर, एन.एस.एस. शिविरों में अथवा खेलकूद, साहित्यिक या सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता हैं, उन्हें उन दिनों की कक्षा में अन्य छात्रों की भॉति उपस्थिति मिलेगी, जितने उन दिन उस अवधि में कक्षाएं वास्तव में हुई हैं ।
3. उपस्थिति की गणना सत्र के प्रारंभ से हुई कक्षाओं के आधार पर ही होगी, न कि उस दिन से जिस दिन से छात्र ने प्रवेश लिया हो । इसलिए विलम्ब से प्रवेश लेने वाले छात्र अपनी जिम्मेदारी पर ही ऐसा करें । जिन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा विलम्ब से घोषित किया जाता हैं ओर तत्पश्चात् विद्यार्थी प्रवेष प्राप्त करता हैं , तो उपस्थिति प्रवेश तिथि से गिनी जाएगी ।
4. जिन छात्रों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना हैं, उनको सत्र के प्रारंभ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में प्रवेश ले लेना चाहिए । उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ होने की तिथि से गिनी जाएगी ।
5. प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय–समय पर किए गए रूपान्तरणों एवं परिवर्तनों से आबद्व होगा ।
6. जो परीक्षार्थी उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता हैं, उसे परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा ।

आचरण एव अपेक्षाएं

क्या करें	क्या नहीं करें
1 महाविद्यालय नियमों की अनुपालना कर अनुशासन बनाए रखें ।	1. किसी भी तरह की उच्छृंखलता, अभद्रता एवं अनुशासनहीनता ना करें ।
2. सूचना पट्ट का प्रतिदिन अवलोकन करें।	2 महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का प्रयोग ना करें ।
3. परिचय पत्र हमेंषा साथ में रखें एवं सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अनिवार्य रूप से दिखाए ।	3 . महाविद्यालय में सहपाठियों के साथ उत्पीडन . संबंधी गतिविधियों में संलिप्त ना हों ।
4. महाविद्यालय परिसर का पर्यावरण स्वच्छ, सुन्दर एवे सुरक्षित रखें ।	1. किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं, ना ही दीवारों को गंदा करें ।
2. नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें ।	5. रिक्त कालांश या कक्षा ना होने पर इधर–उधर न घूमें
6. ध्यान रखें कि विष्वविद्यालय परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में बैठने के लिए प्रत्येक पेपर में 75% उपस्थिति अनिवार्य हैं ।	6 मादक पदार्थो, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, पान इत्यादि का सेवन महाविद्यालय परिसर में न हो ।
7. पुस्तकालय/वाचनालय का अधिकाधिक उपयोग करें ।	7 महाविद्यालय की पुस्तको को गंदा ना करे और ना ही उनके पृष्ठ इत्यादि फाड़े ।
8. अपना वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करें	8 पुस्तकालय में शोर–शराबा ना करें और ना ही . अकारण बैठे ।
9. महाविद्यालय में शान्ति व्यवस्था बनाए रखें ।	9 छात्रसंघ चुनावो में लिंगदोह समिति द्वारा . . वर्णित आचार संहिता का उल्लंघन ना करें ।
10. व्यक्तिगत विकास हेतु विभिन्न परिषदों द्वारा आयोजित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले ।	10 छात्र–संघ चुनाव,वार्षिकोत्सव व अन्य . . अवसरों पर .मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें ।
11. समय–सारिणी एवं पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी रखें एवं उनके अनुसार अपने अध्ययन की निरन्तरता रखें ।	11 छात्राओं के साथ अशिष्ट व्यवहार या यौन . . अपराध ना करें अन्यथा सख्त अनुशासनात्मक . कार्यवाही की जाएगी ।
12. महाविद्यालय पत्रिका में लेखन द्वारा योगदान करें ।	12 प्राचार्य व प्राध्यापकों के निर्देषो की अवहेलना . या अवज्ञा ना करें ।
13. शुल्क रसीद को वर्षपर्यन्त संभाल कर रखें ।	13 महाविद्यालय सम्पत्ति को नुकसान ना पहुॅचाएं ।
14. सहपाठियों के साथ सद्व्यवहार प्रदर्षित रखें ।	14 कक्षाओं मे विलम्ब से न जावें ।
15. यदि आप छात्रवृति के लिए आवेदन करते हैं , तो आय–प्रमाण पत्र,जाति प्रमाणपत्र, एवं निवास प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें ।	15 विष्वविद्यालय परीक्षा मे नकल/अनुचित . . साधनों का प्रयोग ना करें । किसी भी स्थिति . . में विश्वविद्यालय परीक्षा का बहिष्कार ना करें ।
16. युवा कौशल विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर अंकन करें ।	16 पूरक परीक्षा के परिणाम का इन्तजार ना करें . एवं अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेष लेकर . . . उपस्थिति दें ।
17. राज्य सरकार की छात्रवृति योजना का अवश्य लाभ उठाएं ।	17 परीक्षा आवेदन,छात्रवृति आवेदन के लिए . . अन्तिम तिथि का इन्तजार ना करें ।
18. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का अवश्य लाभ उठाएं ।	18 महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक रूप से . . वाहन का हॉर्न ना बजाएं ।
19. अवांछित तत्वों का महाविद्यालय में प्रवेशरोकें।	19 महाविद्यालय छवि को धूमिल ना होने दें ।
20. जिम्मेदार विद्यार्थी व नागरिक बनें ।	20 नकारात्मक भावनाओं को ना पनपने दें ।

शुल्क विवरण

कक्षा		सामान्य		आरक्षित	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
बी0ए0 पार्ट प्रथम	**NTP**	**2061**	**2069**	**2019**	**2069**
	ITP	**2163**	**2069**	**2019**	**2069**
बी0ए0 पार्ट द्वितीय	**NTP**	**2061**	**2069**	**2019**	**2069**
	ITP	**2163**	**2069**	**2019**	**2069**
बी0ए0 पार्ट तृतीय	**NTP**	**2061**	**2069**	**2019**	**2069**
	ITP	**2163**	**2069**	**2019**	**2069**
बी0ए0 पार्ट प्रथम भूगोल प्रायोगिक सहित	**NTP**	**2161**	**2069**	**2119**	**2069**
	ITP	**2263**	**2069**	**2119**	**2069**
बी0ए0 पार्ट द्वितीय भूगोल प्रायोगिक सहित	**NTP**	**2161**	**2069**	**2119**	**2069**
	ITP	**2263**	**2069**	**2119**	**2069**
बी0ए0 पार्ट तृतीय भूगोल प्रायोगिक सहित	**NTP**	**2161**	**2069**	**2119**	**2069**
	ITP	**2263**	**2069**	**2119**	**2069**

नोट :

1. शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेश के समय एक साथ लिया जाएगा ।
2. स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों से प्रवेश, पत्रिका, परिचय पत्र, आन्तरिक परीक्षा, परिषद् शुल्क इत्यादि के अतिरिक्त अन्य शुल्क नहीं लिए जाऐंगे ।
3. **परिचय पत्र** खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी को शपथ पत्र भरकर उसकी सूचना प्राचार्य को देनी होगी । इसकी सत्यता की पुष्टि होने के पष्चात् निर्धारित शुल्क लेखा शाखा में जमा करवाने के उपरान्त ही डुप्लिकेट परिचय पत्र जारी हो सकेगा ।
4. **चरित्र प्रमाण पत्र :** रूपये 10/– की राशि पर चरित्र प्रमाण पत्र महाविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र पर ही लिया जा सकता हैं । **चरित्र प्रमाण पत्र छः माह में एक बार और महाविद्यालय छोड़ने के बाद केवल एक बार दिया जाएगा । निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप में चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा ।**

5. **अमानत राशि (कॉशन मनी) :** महाविद्यालय का किसी प्रकार का शुल्क बकाया नहीं होने पर यह राशि महाविद्यालय छोड़ने की तिथि के छः माह पश्चात् वापस लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र, जो कार्यालय में उपलब्ध हैं, प्रस्तुत किया जाना चाहिए । भरा हुआ प्रपत्र कार्यालय में देते समय उसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए । **नवीनीकृत विद्यार्थियों से अमानत राशि नहीं ली जाएगी ।**
6. **स्थानान्तरण प्रमाणपत्र** हेतु रू. 50/– के शुल्क एवं रू. 50/– महाविद्यालय विकास समिति कोष में अंशदान के रूप में जमा कराने होंगे ।
7. **डिग्री** प्राप्त करने हेतु रू. 100/– महाविद्यालय विकास समिति कोष में अंशदान देना होगा।
8. **विष्वविद्यालय परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी का प्रवेष शुल्क लौटाया जाएगा। तथा अस्थायी प्रवेष निरस्त किया जाएगा।**

छात्रवृत्तियॉं

महाविद्यालय का कोई भी प्रतिभावान विद्यार्थी उच्च षिक्षा सें वंचित नहीं रहे, इस हेत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा छात्रवृत्तियॉं प्रदान की जाती हैं । छात्रवृत्तियों की विभिन्न श्रेणियॉं इस प्रकार हैं :–

- **काली बाई भील स्कूटी योजना**
- **मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति**
- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियॉं**
- **अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियॉं'**
- **विशिष्ट योग्यजन छात्रवृत्तियॉं**
- **निदेशालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा देय छात्रवृत्तियॉं**

नोटः इन छात्रवृति योजनाओं की प्रात्रता, योग्यता एवं अन्य नवीनतम जानकारी हेतु समय–समय पर सूचना पट्ट पर दिये गये निर्देश के आधार पर अपना फॉर्म निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करे। अधिक जानकारी हेतु विद्यार्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर छात्रवृति प्रभारी से संर्पक करे।

कालीबाई भील स्कूटी योजना न्यूनत्म प्रात्रता

1. RBSC से कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत
2. CBSC से कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत
3. अधिकतम आय सीमा सालाना 2.50 लाख रूपये
4. वर्तमान पाठ्यक्रम की मूल फीस रसीद
5. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र
7. आधार कार्ड
8. बैंक डिटेल्स

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़े समस्त जाति एवं धर्म के विद्यार्थियों के लिए यह छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की हैं । यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं (FLAGSHIP SHCEME) में से एक हैं । इस छात्रवृत्ति योजना की Monitoring मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती हैं ।

देय छात्रवृत्ति : 500 रू प्रतिमाह की दर से (प्रवेष तिथि से गणना की जाएगी)

पात्रताः

1. सभी वर्गो (SC/ST/OBC/SBC/MINORITY/GENERAL) के विद्यार्थी पात्र
2. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,अजमेर से सीनियर सैकण्डरी (विज्ञान/वाणिज्य/कला परीक्षा में 60% अंको से उत्तीर्ण विद्यार्थी
3. माता–पिता अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं।

संलग्न करने हैं :

1. राजस्थान माध्यमिक षिक्षा बोर्ड़, अजमेर से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित प्रति
2. तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाणपत्र/अधिकृत प्रारूप में दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित आय
3. मूलनिवास प्रमाणपत्र
4. अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने बाबत् 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित प्रमाणपत्र
5. एस.बी.बी.जे.के बचत खाता की पासबुक की फोटोकॉपी जिसमें नाम, खाता संख्या व IFSC कोड स्पष्ट अंकित हो
6. वर्तमान उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हेतु शुल्क जमा रसीद की सत्यापित प्रति
7. आधार कार्ड की छाया प्रति

विषेषः Online Admission Form भरते समय छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भी प्राप्त करें ।(यदि आप पात्रता रखते हैं)

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का नवीनीकरण : प्रथम वर्ष में जिन विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हैं तथा उन्होनें गतवर्ष की परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हैं, अन्य शर्तो के साथ छात्रवृत्ति नवीनीकरण के पात्र होंगे ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियॉ

अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जन जाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्न छात्रवृत्तियॉ प्रदान की जाती हैं :–

(अ) अनुसूचित जाति (SC) –विभाग के आदेश क्रमांकः 3254–3508 दिनॉकः19.01.2011 द्वारा संशोधित आदेशानुसार

(ब) अनुसूचित जन जाति (ST) –विभाग के आदेश क्रमांकः61919–62175 दिनॉकः18.8.2011 द्वारा संशोधित आदेशानुसार

(स) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) –विभाग के आदेश क्रमांक आदेश :66454–66708 दिनॉकः30.8.2011 द्वारा संशोधित आदेशानुसार

(द) विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) –1.विभाग के आदेश क्रमांकः3254–3508 दिनॉकः19.01.2011 द्वारा संशोधित आदेशानुसार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार हैं :–

वर्ग	अनूसूचित जाति(sc)		अनुसूचित जन जाति (ST)		विशेष पिछडा वर्ग(SBC)		अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	
विवरण	अछात्रावासी (रूपये)	छात्रावासी (रूपये)	अछात्रावासी (रूपये)	छात्रावासी (रूपये)	अछात्रावासी (रूपये)	छात्रावासी (रूपये)	अछात्रावासी (रूपये)	छात्रावासी (रूपये)
1.आय सीमा (वार्षिक)	2,00,000		2,00,000		2,00,000		1,00,000	
2.मासिक पुनर्भरण भत्ता राशि	300	570	300	570	300	570	210	400
3.अन्य भत्ते								
–अध्ययनरत भ्रमण भत्ता (एकमुस्त)	1600		1600		1600		900	
–अंधे विद्यार्थियों के लिए मासिक पाठक भत्ता	200		200		200		175	
–अछात्रावासी विकलांगो के लिए मासिक यात्रा भत्ता	160		160		160		–	
–अत्यधिक निर्याग्य अछात्रावासी के लिए अनुरक्षक भत्ता	160		160		160		–	
–विमंदित विद्यार्थियों के लिए कोचिंग	240		240		240		–	

:: छात्रवृत्ति के लिये आवश्यक दिशा निर्देश ::

1. **अनुसुचित जाति , अनुसुचित जनजाति एवं विशेष समूह योजना** (पूर्व में एस.बी.सी.) के विद्यार्थी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रू. तक या इस से कम हो, आवेदन कर सकते है।

2. **अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1.50 लाख रू.** तक या इस से कम हो, आवेदन कर सकते है। इसमें निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगें – बी.पी. एल. कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट् बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालक/बालिका, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकषुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र।

3. **डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC)** के विद्यार्थी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रू. तक या इस से कम हो, तथा केवल राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते है।

4. **डॉ. अम्बेडकर विमुक्त घुमन्तु एव अर्द्वघुमन्तु (DNT)** वर्ग के विद्यार्थी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रू. तक या इस से कम हो, आवेदन कर सकते हें

5. **मुख्यमंत्री सर्वजन उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 लाख रू.** से कम वार्षिक आय वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगें।

6. विद्यार्थी अपना आवेदन समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट www.scholarship.rajasthan.gov.in पर जा कर ई–मित्र/साइबरकेफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन कर सकते है।

7. . **विद्यार्थी आवेदन भरते समय ई–मेल ID, मोबाईल नम्बर, स्वयं का ही दें।** एवं पासवर्ड को याद रखें या लिख लेवें। मोबाईन नम्बर स्वयं का या जो चालू हो वही लिखें।

8. **अनुसुचित जाति , अनुसुचित जनजाति एवं विशेष समूह योजना** (पूर्व में एस.बी.सी.), डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), डॉ. अम्बेडकर विमुक्त घुमन्तु एव अर्द्वघुमन्तु (DNT) वर्ग, मुख्यमंत्री सर्वजन उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित वांछित मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा –

i. आय का घोषणा पत्र (आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त करें)
ii. मूल निवास ।
iii. विवाह प्रमाण–पत्र (विवाहित होने की स्थिति में)
iv. पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (पिता के जिवित नही होने की स्थिति में)
v. तलाक सम्बन्धि दस्तावेज (तलाकषुदा महिला की स्थिति में)
vi. गत अन्तिम वर्ष की अंकतालिका ।
vii. फीस की मूल रसीद।
viii. फीस की मदवार रसीद (महाविद्यालय से प्राप्त करें)

9. **OBC वर्ग के विद्यार्थियों को निम्नलिखित वांछित मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा –**

i. जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाईन जारी किया गया हो)
ii. BPL /अंतोदय/स्टेट BPL का डाटा भामाषाह से लिया जाएगा।
iii. आय का घोषणा पत्र (आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त करें)
iv. मूल निवास प्रमाण–पत्र।
v. विवाह प्रमाण–पत्र (विवाहित होने की स्थिति में)

vi. पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (पिता के जिवित नही होने की स्थिति में)

vii. माता–पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (अनाथ होने की स्थिति में)

viii. पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र (विधवा होने की स्थिति में)

ix. तलाक सम्बन्धि दस्तावेज (तलाकशुदा महिला की स्थिति में)

x. विषेष योग्यजन प्रमाण–पत्र (स्वयं या माता–पिता के विशेष योग्यजन होने की स्थिति में।

10. **आय प्रमाण–पत्र हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र में ही बनाकर मूल ही स्कैन** कर पोर्टल पर यथा, स्थान अपलोड करना होगा। पिता द्वारा (पिता जिवित होने की स्थिति में), माता द्वारा (पिता की मृत्य होने की स्थिति में), संरक्षक द्वारा माता–पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में, स्वयं द्वारा (माता–पिता एवं संरक्षक तीनों ही जीवित नहीं होने की स्थिति में), पति द्वारा (विवाहित महिला होने की स्थिति में) आदि द्वारा आय की घोषणा की जायेगी।

11. **विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएं जैसे** – नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। अतः विद्यार्थी भामाशाह पोर्टल में सही सूचना अंकित करावें और संषोधन करवानें की स्थिति में भामाशाह पोर्टल से संशोधन आवश्यक रूप से करावें।

12. **भामाशाह ID , आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।**

13. **विद्यार्थी का बैंक खाता** संख्या उपलब्ध नहीं करवानें की स्थिति में छात्रवृत्ति राषी भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुख्या के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी। बैंक खाता बन्द नहीं होना चाहिए।

14. शैक्षणिक संस्था द्वारा विद्यार्थी को उपलब्ध कराई गई फीस की रसीद में अंकित

8 **मद की फीस निम्नानुसार है**–

पंजीकरण शुल्क (Registration Fee)	2
नामांकन शुल्क (Enrolment Fee)	0
खेल–कूद शुल्क (Games Fee)	100
संगठन शुल्क (Union Fee)	100
पुस्तकालय शुल्क (Library Fee)	100
पत्रिका शुल्क (Magazine Fee)	50
परीक्षा शुल्क (Examination Fee)	10
सुरक्षा जमा शुल्क (Security Deposit Fee)	50
विकास शुल्क (Development Fee)	300
Caution Fee	10
Tuition Fee	0

15. **रसीद की कुल राशि** (Total Receipt Amount) कॉलम में विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले चालान की / फीस की ई–मित्र रसीद की कुल राशि भरनी है।

16. **विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करें। गलत सूचना देने पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है, तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**

नोट : संलग्न होने वाले दस्तावेज छात्रवृत्ति प्रभारी से एक बार आवश्यक रूप से जांच करवानें के बाद ही विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरें।

. देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियॉ तथा देवनारायण स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना

उपर्युक्त सभी छात्रवृत्तियों के लिए सत्र 2012–13 से ऑनलाईन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया हैं । अतः जो विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्न छात्रवृत्तियॉ लेना चाहता हैं , उसे ऑनलाईन आवेदन ही करना हैं अन्यथा उसका छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार नहीं होगा । उल्लेखनीय हैं कि ये छात्रवृत्तियॉ महाविद्यालय में नियमित अध्ययन करने तक देय होंगी ।

उपर्युक्त सभी छात्रवृत्तियों के संबंध में **सामान्य अनुदेश** निम्न प्रकार हैं :–

1. एक सत्र में एक विद्यार्थी एक से अधिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा सकता हैं ।
2. माता–पिता के जीवित रहते अन्य व्यक्ति अभिभावक नहीं बन सकता हैं ।
3. छात्रवृत्ति के लिए महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी ही पात्र हैं ।
4. पूर्व सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति नही दी जाएगी ।
5. एक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर उसी स्तर के दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेष लेने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी ।
6. एक संकाय के प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने पर पुनः दूसरे संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेष लेने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी ।

देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्तियॉ :विषेष पिछड़ा वर्ग की (1) बंजारा, बालदिया, लबाना (2) गाडिया लोहार, गाडोलिया (3) गूजर, गुर्जर (4)राईका, रेबारी(देवासी) के लिए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांकः एफ 11(164)देव–योजना/छात्रवृत्ति/10/89959–90215 दिनॉकः 05.12.2011 द्वारा किए गए संषोधनों के साथ ये छात्रवृत्तियॉ उपर्युक्त तालिका में दिए गए विवरणों के अनुसार देय होंगी

देवनारायण स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना : विषेष पिछड़ा वर्ग की वे छात्राएं, जिन्होने अर्हकारी परीक्षा 55% या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण की हैं, इसके अन्तर्गत पात्र हैं ।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियॉ

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु जून 2006 में घोषित प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्व, पारसी,इत्यादि) के योग्य छात्रों के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया हैं ताकि उनको उच्च शिक्षा में अधिक अवसर मिलें तथा रोजगार पाने की संख्या में वृद्वि हो ।

इस योजना के विशेष बिन्दु इस प्रकार हैंः–

1. अर्हकारी परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी पात्र होंगे ।
2. योजना की 30% छात्रवृत्तियॉ छात्राओं के लिए सुरक्षित हैं ।
3. गरीबी रेखा के नीचे (BPL) तथा न्यूनतम आय वाले (बढते क्रम के)विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी

:: अल्पसंख्यक छात्रवृति योजना ::

:: आवश्यक दिशा निर्देश ::

आवेदन करने हेतु पात्रताः

1. आवेदक के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. पिछली उत्तीण कक्षा में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है।
3. एक ही परिवार में दो से अधिक विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
4. दो लाख से अधिक आय वाले सरकारी कर्मचारी/व्यवसायी के पुत्र–पुत्रीयों के गलत तथ्य/शपथ पत्र से आवेदन करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
5. विद्यार्थियों को ऑनलाईन निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे :–
   - I. मूल निवास प्रमाण पत्र
   - II. विद्यार्थी का फोटो
   - III. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
   - IV. पिछली उत्तीर्ण कक्षा की स्वप्रमाणित अंकतालिका की प्रति
   - V. वर्तमान पाठ्यक्रम की फीस रसीद
   - VI. आय प्रमाण–पत्र
   - VII. स्वयं की या माता/पिता के साथ ज्वाइंट बैंक खाते की बैंक पासबुक की प्रति
   - VIII. संस्था से प्रमाणित–पत्र (Bonafide Student of Institution)

आवेदन करने वाले विद्यार्थी को महाविद्यालय में छात्रवृत्ति प्रभारी को निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से जमा करवाने होंगे :–

I. आवेदन पत्र की कॉपी
II. आधार कार्ड की फोटो कॉपी
III. बैंक अकाउण्ट की पासबुक की फोटो कॉपी
IV. आय प्रमाण–पत्र 4 पेज वाला

Note :

उपर्युक्त दस्तावेज महाविद्यालय में जमा नहीं करवाने की स्थिति में विद्यार्थी के आवेदन पत्र को संस्था द्वारा जिला लेवल पर फारवर्ड नहीं किया जायेगा। इससे विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी और इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

नोटः निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा देय छात्रवृत्तियों के लिए निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रवेशनीति 2021–22 का अवलोकन करें ।

सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश समितियाँ

सत्र 2020–21 में महाविद्यालय में प्रवेश कार्य हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन किया गया हैं :

नोड़ल अधिकारीः– डॉ. उम्मेद कुमार चौधरी, सहायक आचार्य – भूगोल

कक्षा	संकाय	समिति
प्रथम वर्ष	कला	1. श्री रामचंद्र 2. सुश्री रजनी
द्वितीय वर्ष	कला	1. श्री अशोक सेठ
तृतीय वर्ष	कला	1. श्री अशोक सेठ

अकादमिक प्रभारी :– श्री आईदान सिंह

महाविद्यालय वैब पेज नोड़ल अधिकारी :– डॉ. उम्मेद कुमार चौधरी

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य : रिक्त

संकाय सदस्य

क्र. सं.	नाम संकाय सदस्य	मोबाईल नम्बर	योग्यता	विभाग
1.	श्री आईदानसिंह (कार्यवाहक प्राचार्य)	9460443779	M.A.,M.PHIL. NET/JRF	इतिहास
2.	श्री अशोक सेठ	9462272239	M.A.,M.PHIL.	राजनीति विज्ञान
3.	डॉ. उम्मेद कुमार चौधरी	9784583901	M.A.,M.PHILL, PH.D.NET, J.R.F.	भूगोल
4.	श्री रामचंद्र	9887901099	M.A.,NET	संस्कृत साहित्य
5.	सुश्री रजनी	7976983144	M.A.,NET	अंग्रजी साहित्य
6.	रिक्त			हिन्दी साहित्य
7	रिक्त			समाजशास्त्र
8	रिक्त			पुस्तकालयाध्यक्ष
9.	रिक्त			शारीरिक प्रशिक्षक
10.	रिक्त			कार्यालय अधीक्षक
11.	रिक्त			सहायक लेखाधिकारी
12.	रिक्त			सूचना सहायक
13.	रिक्त			वरिष्ठ लिपिक
14.	रिक्त			कनिष्ठ **लिपिक**
15.	रिक्त			कनिष्ठ **लिपिक**
16.	रिक्त			प्रयोगशाला सहायक
17.	रिक्त			प्रयोगशाला वाहक
18	श्री भुराराम देवासी	7742872767		बुक लिफ्टर
19.	रिक्त			चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
20.	रिक्त			चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
21.	रिक्त			चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

विवरणिका में सम्मिलित सूचनाएं राजस्थान सरकार/निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर /जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, बाली के आदेशाधीन परिवर्तनीय, परिवर्द्धनीय एवं संशोधनीय हैं ।

विवरणिका समिति

1. *कार्यवाहक प्राचार्य श्री आईदानसिंह*
2. *श्री अशोक सेठ – सदस्य*
3. *डॉ. उम्मेद कुमार चौधरी – सदस्य*
4. *श्री रामचन्द्र – सदस्य*
5. *सुश्री रजनी – सदस्य*

GOVERNMENT COLLEGE, BALI

Feb India School Raod, BALI- 306701

TELEPHONE NO.: 02938-222002

E-MAIL : govtcollegebali@gmail.com

स्थापना के साथ सफलता की ओर निरन्तर अग्रसर
राजकीय महाविद्यालय, बाली